



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-27.05.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी जैसे अपराधों में लिप्त 03 अभियुक्तों 1.राजवेन्द्र सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी दुगट्टापुल मजरा सोहरिया थाना रामपुर मथुरा 2.मनोज पुत्र सम्भारी निवासी गौरीशंकर पुरवा थाना रामपुर मथुरा 3.सलमान पुत्र इस्लाम निवासी जलालपुर थाना बिसवां सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर मथुरा पर मु0अ0सं0 202/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 202/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर मथुरा सीतापुर

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. राजवेन्द्र सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह निवासी दुगट्टापुल मजरा सोहरिया थाना रामपुर मथुरा सीतापुर
2. मनोज पुत्र सम्भारी निवासी गौरीशंकर पुरवा थाना रामपुर मथुरा सीतापुर
3. सलमान पुत्र इस्लाम निवासी जलालपुर थाना बिसवां सीतापुर

अभियुक्त राजवेन्द्र कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 272/21 धारा 380/411 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 134/22 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर

अभियुक्त मनोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 272/21 धारा 380/411 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 134/22 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 134/22 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मथुरा सीतापुर